

प्रा.पं. 52/2019

सन्तोष कुमार बनाय वैदिकार्थक

19/8/19 परावर्ती काज चकील वादी द्वारा कद
 विद्वा कराने हेतु आर्चना पत्र देया
 करने पर आर्चना पत्र को तलब
 किया गया। आर्चना पत्र है साक्ष्यिका
 मूल दवा वादी द्वारा विद्वा कला
 लिया है कर। मूल दवा विद्वा है
 जाने पर आर्चना पत्र का आगे-पलगे
 का कोई कार्य नही है। अतः
 आर्चना पत्र का भी विद्वा दिया
 जाता है। आर्चना पत्र में मूल दवा
 हीवत नाम है काठ व लक
 का साक्ष्यिक दस्तावेज है

साक्ष्यिका
 मूल दवा

सहायक कलेक्टर एवं
 जिलापालक मजिस्ट्रेट
 (फारम ट्रान्ज) जमशारामगढ़ जयपुर

